

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैंप 2015 ग्राम पंचायत भीम
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैंप कोर्ट)
कैंप कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत भीम

प्रकरण सं. - 147/2008 रे0वा0

निर्णय दिनांक - 02.07.2015

अनवान

1. श्रीमति तेजी पत्नि खीमसिंह जाति रावत निवासी मानारावजी का वास तहसील भीम।
2. श्री जयपालसिंह पिता पूरणसिंह जाति रावत निवासी मानारावजी का वास तहसील भीम।
3. श्री लक्ष्मणसिंह पिता पूरणसिंह जाति रावत निवासी मानारावजी का वास तहसील भीम।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान संस्कार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

यह कि वादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 14800 रकबा 05 बीघा 8 विस्वा किरस्म काबिल काशत नौजा नेडी पटवार हल्का भीम जिला राजसमन्द में स्थित है।


वादीगण की उक्त खातेदारी भूमि से लगे पडौस मे भूमि खसरा नम्बर 14801 रकबा 03 बीघा 12 विस्वा काबिल काशत किरस्म बाराणी 1 नौजा नेडी पटवार हल्का भीम में स्थित है।

उपरोक्त चरण संख्या 2 में वर्णित उक्त भूमि पर वादीगण के पिता स्व. पूरणसिंह वल्द भोजा का कब्जा काशत संवत 2033 से जब तक वह जीवित रहा लगातार चलता रहा जिसके इन्द्राज खसरा संख्या 14801 संवत 2033 मे दर्ज है। इसके स्वर्गवास पश्चात वादीगण का कब्जा काशत आज तक लगातार चल आ रहा है।

उक्त भूमि प्रारम्भ में उबड-खाबड पथरीली व अनउपजाउ थी, जिसे वादीगण के पिता व उन्होने कब्जा करके व श्रम खर्चकर समतल व उपजाउ उन्नत व काबिल काशत बनाया जिसमें उनके हजारों रुपये खर्च हुए है।

उक्त भूमि पर संवत 2033 से वादीगण के स्वर्गीय पिता पूरणसिंह पुत्री भोजा रावत अपने जीवनकाल तक लगातार काशत करते रहे तथा उनके स्वर्गवास पश्चात वादीगण आज तक लगातार काशत करते करते आ रहे है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात हम वादीगण जो उनके उत्तराधिकारी है का लगातार काशत निरन्तर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के कब्जा एवं काशत चली आ रही है जिसे गांव का हर व्यक्ति जानता है। करीब 3-4 माह पूर्व हम वादीगण को रूपयो की आवश्यकता होने से हम वादीगण ने अपने खाते की जमीनों की जमाबन्दी पटवारी से मांगी तो उसने नक्शा व जमाबन्दी की नकल बताई जिस पर हम नक्शे मे पटवारी को बताया कि यह जमीन तो हमारी है तो पटवारी ने बताया कि यह तो बिलानाम सवारी जमीन है जिस पर आप लोगो का कब्जा चला आ रहा है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायालय में लम्बित होकर राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैंप भीम मे पेश हुआ। वादी का वाद इस प्रकार खारीज किया जाता है कि वर्तमान में भूमि काबिल होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अदालत
जिला - राजसमन्द